# राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

RAJA SHANKAR SHAH UNIVERSITY CHHINDWARA(M.P.)

PG College Campus Dharam Tekri, e-mail rssucexamcell@gmail.com


पत्र क्र.1452 /परीक्षा/रा.शं.शा.वि.छिं/2025 छिंदवाड़ा दिनांक 10/05/2025

प्रति,

समस्त प्राचार्य, सम्बद्ध महाविद्यालय,
जिला – छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, बालाघाट, पार्ढुणा
राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा (म0प्र0)

विषयः–राष्ट्रीय शिक्षा नीति सत्र 2024–25 स्नातक स्तर चतुर्थ वर्ष के बैलचर डिग्री (आनर्स) के मेजर विषय पर आधारित लघुशोध प्रबंध (4 क्रेडिट) के लिए दिशा निर्देश।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि स्नातक स्तर के चतुर्थ वर्ष के बैचलर डिग्री (ऑनर्स) के मेजर विषय पर आधारित लघुशोध प्रबंध (4 क्रेडिट) के लिये बाहय परीक्षक की नियुक्ति , मूल्यांकन एवं मौखिक परीक्षा (वायवा) का कार्य महाविद्यालय स्तर पर किया जाना है। एम.पी ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 25/06 /2025 विश्वविद्यालय को लघुशोध प्रबंध एवं मौखिक परीक्षा (वायवा) के अंक भेजे। उक्त दिनांक तक लिंक खुली रहेगी।

आध्यादेश 14 B में दिये गये तालिका (16.14) के क्रमांक 13 के अनुसार लघुशोध प्रबंध एवं मौखिक परीक्षा (वायवा) के निर्धारण किया जाये। Dissertation/ Research Project (4/6) , Evaluation of thesis 2/4 Credits (50 Marks) + Pre-submission Viva-Voce 1/1 Credit (25 Marks)+ External Viva -Voce 1/1 Credit (25 Marks)

नोटः– शोध प्रबंध (Dissertation) का मूल्यांकन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जाना है, यह सुनिश्चित हो।

1. जिल्द बाइडिंग और टायपिंग किये हुए लघुशोध प्रबंध ही स्वीकार किये जाये। लघुशोध प्रबंध निर्धारित प्रारूप में ही तैयार किये जाना है। (प्रारूप 1. महाविद्यालय का नाम 2. विद्यार्थी का नाम् 3. कक्षा/विषय 4 निर्देशक का नाम 5. . लघुशोध प्रबंध का नाम)
2. लघुशोध प्रबंध की एक प्रति महाविद्यालय द्वारा अपने पास संरक्षित रखी जावे विश्वविद्यालय द्वारा लघुशोध प्रबंध की प्रति मांगे जाने पर महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाये।
3. महाविद्यालय बाह्य परीक्षक नियमित/सेवानिवृत्त/ कॉलेज कोड़ (28) जो राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय से संबद्ध हो. विश्वविद्यालय के परिनियम 29 के प्रावधान अनुसार आमंत्रित कर परीक्षा कार्य सपन्न कराया जाना है।
4. प्राचार्य/प्राचार्या स्वयं के महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक को बाह्य परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते है।
5. उक्त मूल्यांकित शोध प्रबंध के अंक विश्वविद्यालय को समय सीमा में एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से भेजे जाये एवं एक प्रति हार्ड कॉपी गोपनीय शाखा, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय .छिन्दवाडा में प्रेषित करना सुनिश्चित करें
6. जमा किए जाने वाले अंक के पर्ण/प्रतिपर्ण (Foil/Counterfoil) में यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित हो कि पर्ण/प्रतिपर्ण पर बाह्य एवं आंतरिक परीक्षक के नाम ,पद, पदस्थ संस्था का नाम, एवं हस्ताक्षर का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो।
7. यदि किसी विद्यार्थी के लघुशोध प्रबंध में नकल (Plagiarism) पायी जाती है शोध प्रबंध सहित विश्वविद्यालय को सूचित करें।

आदेशानुसार

(डॉ.धनाराम)
परीक्षा नियंत्रक
राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय,
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

पृ.क्र 1453 / परीक्षा./राशंशावि.छि/ 2025 छिन्दवाड़ा दिनांक : 10/05/2025

प्रतिलिपिः–

1. माननीय कुलगुरू महोदय के निज सहायक की ओर माननीय कुलगुरू महोदय की ओर सूचनार्थ।
2. कुलसचिव राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ ।
3. वित्त नियंत्रक राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ ।
4. प्रभारी आकदमिक/सहायक कुलसचिव अकादमिक की ओर सूचनार्थ।
5. नोडल आई.टी सेल राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ।

परीक्षा नियंत्रक
राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय,
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)